

105/2019

25-1-2023 प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा।

बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के वकील ने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राजस्व ग्राम गालानाडी, पटवार हल्का चाडों की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09-17 बीघा, खसरा संख्या 266/41 रकबा 33-12 बीघा, व खसरा संख्या 17 रकबा 02-08 बीघा का आया हुआ कि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने स्व. श्री पदमाराम से खेत खसरा संख्या 17 व 41 को जरिये रजिस्ट्री से अपने 1/2 हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भूमि 22-18 बीघा की जगह अपने हिस्से से अधिक कुल 36-00 बीघा का बेचान दिनांक 16-02-1972 को किया गया था। उक्त बेचान के आधार पर पटवारी चाडों की ढाणी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 49 दायर किया गया जिसमें पटवारी के द्वारा "नोट:-खसरा संख्या 17 व 41 दोनो खसरों की जमीन क्रमशः 02-08 बीघा व 43-09 बीघा कुल 45-17 बीघा जमीन है और उसमें से पदमा के हिस्से में 22-18 बीघा जमीन ही आती है अपने हिस्से से ज्यादा पदमा ने रजिस्ट्री कराई है।" का अंकन किया गया है और सरपंच के द्वारा उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत कर दिया गया। पटवारी के द्वारा उक्त नामान्तकरण के साथ में बंटवाड़ा कर नया खाता संख्या भी दिया गया और उक्त खसरे की गलत रूप से तरमीम भी का दी गई जो सड़का की तरफ का सम्पूर्ण हिस्सा खरीददार विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दे दिया गया। इस प्रकार से गलत बंटवाड़ा का नया खाता संख्या व तरमीम भी कर दी गयी। खसरा संख्या 41 में जब पदमाराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया तो पिछे उक्त खसरे में नारणाराम के वारिशान का ही हिस्सा बनता है जबकि जमाबन्दी में इस प्रकार का अंकन नहीं है और उक्त 1 खसरे में पदमाराम व उनके वारिशान का नाम साथ में दर्ज है। कि विप्रार्थीगण ने आज से 34 सप्ताह पूर्व अपने खेत का बिना किसी प्रकार का नाप करवायें प्रार्थीगण के खेत की जो पुरानी माटे व अपनी सीमा के निशान के रूप में जो बाड़ आदि की हुई है जिसको धीरे धीरे बिखेरना शुरू कर दिया और अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करना शुरू कर प्रार्थीगण के खेत मे पेड़ पौधो को काटना शुरू कर खेती करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त विप्रार्थीगण का खेत प्रार्थीगण के खेत के सेढा-सेढ आया हुआ है। इस प्रकार विप्रार्थीगण द्वेष की भावना से प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण के खेत को खराब कर रहा है यदि विप्रार्थीगण अपने

अधिकारी
पटवारी

इस नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण मकसद ही निष्फल हो जायेगा और प्रार्थीगण के हितों कुठाराघात होगा, जिससे प्रार्थीगण न्याय पाने से वंचित हो जायेगा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिस क्षतिपूर्ति का आंकलन भविष्य में किसी प्रकार संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकारकरते हुए ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमायें कि मौजा गालानाडी पटवार हल्का चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09-17 बीघा, खसरा संख्या 266/41 रकबा 33-12 बीघा व खसरा संख्या 17 रकबा 02-08 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की बाड़ को न हटावें व खड़े पेड़-पौधों को न काटें व अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर खेती करने का प्रयास न कर मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा गालानाडी पटवार हल्का चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09-17 बीघा, खसरा संख्या 266/41 रकबा 33-12 बीघा व खसरा संख्या 17 रकबा 02-08 बीघा भूमि अवस्थित है। जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने स्व. श्री पदमाराम से खेत खसरा संख्या 17 व 41 को जरिये रजिस्ट्री से अपने 1/2 हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भूमि 22-18 बीघा की जगह अपने हिस्से से अधिक कुल 36-00 बीघा का बेचान दिनांक 16-02-1972 को किया गया था। उक्त बेचान के आधार पर पटवारी चाडों की ढाणी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 49 दायर किया गया जिसमें पटवारी के द्वारा "नोट:-खसरा संख्या 17 व 41 दोनो खसरों की जमीन क्रमशः 02-08 बीघा व 43-09 बीघा कुल 45-17 बीघा जमीन है और उसमें से पदमा के हिस्से में 22-18 बीघा जमीन ही आती है अपने हिस्से से ज्यादा पदमा ने करवाई गई रजिस्ट्री को निष्प्रभावी एवं शून्यकरण मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के निपटारा किया जाना है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीगण को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये

जाने में भी कानूनी पेशीदि-
उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के
इस्तादुआ अनुसार राहत प्राप्त व
स्थगन आदेश से दोनो पक्षों को
लिहाजा प्रार्थीगण का

24/4
बड़ अधिकारी
सिधधरी

जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्वष्यता प्रार्थीगण अपनी इस्तदुआ अनुसार राहत प्राप्त करने का हकदार प्रतीत होता है। साथ ही स्थगन आदेश से दोनो पक्षों को पाबंद किया जाना न्यायसंगत रहेगा।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा गालानाडी पटवार हल्का चाडो की ढाणी में खसरा संख्या 41 रकबा 09-17 बीघा, खसरा संख्या 266/41 रकबा 33-12 बीघा व खसरा संख्या 17 रकबा 02-08 बीघा भूमि के संबंध में पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर एवं नम्बर से कम हो।


उपर्युक्त अधिकारी।
सिन्धरी